रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2016/कार्तिक 27, 1938
No. 802] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016/KARTIKA 27, 1938

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

(राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1079(अ).—राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम की धारा 33 के खंड (ट) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए RGNIYD की शैक्षणिक परिषद् द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश बनाए गए हैं, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (द्वितीय संशोधन), 2016 कहलाएगा।

(2) यह उनके प्रभाव की तारीख 17.09.2016 से लागू माना जाएगा।

2. प्रधान अध्यादेश में नए अध्यादेश का संयोजन

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अध्यादेश, 2016 में अध्याय XI के पश्चात निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा।

अध्याय - XII

विद्यार्थी परिषद:

1. वहां प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु एक विद्यार्थी परिषद होगी जिसमें शामिल होंगे:-

क) संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण जो विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष होगा;

ख) पढ़ाई, खेलकूद और पाठ्यक्रमेतर कार्यकलापों के आधार पर विद्यार्थी परिषद में कुल विद्यार्थियों मे से 5% और अधिकतम बीस विद्यार्थियों का नामांकन करेगी; और

ग) विद्यार्थीगण अपने प्रतिनिधियों के रूप में कुल विद्यार्थियों मे से 5% और अधिकतम बीस विद्यार्थियों का निर्वाचन करेंगे:

वशर्ते कि संस्थान के किसी भी विद्यार्थी को संस्थान से संबंधित कोई भी मामला विद्यार्थी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसी अनुमति दी जाए, और उसे उस बैठक में, जब वह मामला विचारार्थ लिया जाए, चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा।

घ) विद्यार्थी परिषद का कार्य अध्ययन पाठ्यक्रमों, विद्यार्थी कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में, सामान्यतया संस्थान की कार्यप्रणाली के संबंध में संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारियों को सुझाव देना है और ऐसे सुझाव मतैक्य के आधार पर बनाए जाएंगे।

ङ) विद्यार्थी परिषद प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी और परिषद की प्रथम बैठक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में आयोजित की जाएगी।

2. चुनाव और नामांकन हेतु स्थानों की संख्या:

क) चुनाव एवं नामांकन हेतु स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक संबंधित शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रत्येक विभाग में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभाग-वार किया जाएगा।

ख) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सभी विभागों का प्रतिनधित्व है, कई विभागों को इस प्रकार क्लब किया जा सकता है कि क्लब किए गए विभागों के बीच चुनाव हेतु एक स्थान और नामांकन हेतु एक स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

भाग I: विद्यार्थी परिषद हेतु चुनाव पद्धति

3. चुनाव कार्यक्रम:

a) संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण द्वारा चुनाव अधिसूचना निर्गमित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार चुनाव अनुसूची शामिल होगी:

शैक्षणिक सत्र हेतु विद्यार्थी परिषद की सदस्यता का चुनाव कार्यक्रम		
क्र.सं.	कार्य	तिथि
1	चुनाव अधिसूचना का निर्गमन	
2	मतदाता सूची का प्रदर्शन (दाखिल विद्यार्थी)	
3	मतदाता सूची में शुद्धि हेतु अनुरोध की प्राप्ति	
4	अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन	
5	नामांकन पेपर भरने का प्रारंभ	
6	नामांकन पेपर भरने की अंतिम तारीख	
7	नामांकन पेपर की संवीक्षा	
8	उम्मीदवारों की विभाग-वार सूची का प्रदर्शन	
9	नामांकन वापस लेने के लिए अंतिम तारीख	
10	उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रदर्शन	
11	चुनाव प्रचार का प्रारंभ	
12	चुनाव प्रचार बंद करने की तारीख और समय	
13	मतदान प्रारंभ और समाप्त होने की तारीख एवं समय	
14	मतगणना	
15	परिणामों की घोषणा	
16	विद्यार्थी परिषद के गठन की अधिसूचना	

IndianCode

लिंगदोह समिति रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार, संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण द्वारा चुनाव की अधिसूचना के निर्गमन से आरंभ करते हुए इसकी समस्त प्रकिया 10 दिन के अंदर पूरी की जाएगी।

4. निर्वाचन अधिकारी:

क) संबंधित विभागों के वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष या उनकी अनुपुस्थिति में विभागाध्यक्ष अपने संबंधित स्कूल/विभाग में चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं।

5. मतदाता सूची का प्रदर्शन और उसमें शुद्धि करने की पद्धति:

क) एक विभाग की मतदाता सूची से उस विभाग में प्रस्तुत विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में चुनाव अधिसूचना की तिथि को प्रवेश ले चुके समस्त विद्यार्थियों के नाम अभिप्रेत और शामिल हैं;

ख) संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के सूचनापट्ट पर मतदाता सूची की घोषणा की जाएगी;

ग) मतदाता सूची में शुद्धि हेतु अनुरोध, यदि कोई है, निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निर्वाचन अधिकारी को किया जाएगा;

घ) संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा शुद्धि अनुरोध की जांच की जाएगी, जो आवश्यक परिवर्तन, यदि कोई है, को शामिल करने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रदर्शित करेगा:

6. नामांकन पेपर भरना:

a) पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में वचन देकर कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक जांच विचाराधीन नहीं है, निर्धारित प्रारूप में नामांकन पेपर भर सकता/सकती है;

b) इस प्रकार नामांकन प्रपत्र की संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाएगी;

c) ऐसे समस्त मतदाताओं को, जिन्होंने अपना नामांकन पेपर भरा है, नामांकन प्रपत्र की संवीक्षा के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा;

d) संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी;

e) नियत तारीख के भीतर नामांकन वापस लेने के अनुरोध संबंधित निर्वाचन अधिकारी को किए जा सकते हैं;

f) नियत समय/वापस लेने हेतु निर्धारित तारीख के पश्चात संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी।

7. उम्मीदवार होने के लिए पात्रता शर्तें:

क) विद्यार्थी परिषद में चुनाव की मांग रखने वाले विद्यार्थी को लिंगदोह समिति रिपोर्ट में यथोल्लिखित निम्नलिखित पात्रता शर्तें अनिवार्यत: पूरी करनी होंगी:

i. उसका नाम संबंधित विभाग की अंतिम मतदाता सूची में अनिवार्यत: होना चाहिए;

ii. नामांकन पेपर भरने की तारीख को उसकी आयु निम्नलिखित सीमाओं से अनिवार्यत: अधिक नहीं होनी चाहिए:

a) 25 वर्ष, यदि वह एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी है,

b) 28 वर्ष, यदि वह एक RD विद्यार्थी है;

iii. सिवाय उनके जो प्रथम सत्रार्ध में हैं, पिछले सत्रार्ध (सत्रार्धों) में उसके द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में उसकी अनिवार्यत: न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए;

iv. उसका अनिवार्यत: कोई शैक्षणिक बकाया नहीं होना चाहिए अर्थात उसने अध्ययन पाठ्यक्रमों के, जिसमें वह वर्तमान में दाखिल है, पिछले सत्रार्धों के दौरान सभी पाठ्यक्रमों को अनिवार्यत: सफलतापूर्वक पूरा किया है; ऐसे व्यक्ति जो अध्ययन पाठ्यक्रमों के, जिसमें वह वर्तमान में दाखिल है, पिछले सत्रार्ध (सत्रार्धों) के दौरान किसी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहा है और/या ग्रेड I दिया गया है और/या उपस्थिति की अल्पता के कारण रोक दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

v. चुनाव लड़ने के वर्ष में उसकी अनिवार्यत: कोई फीस बकाया नहीं होनी चाहिए।

vi. उसका अनिवार्यत: कोई पिछला आपराधिक अभिलेख नहीं होना चाहिए, अर्थात उस पर किसी आपराधिक वारदात या दुराचार का अभियोजन नहीं चलाया गया हो और/या सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो।

vii. संस्थान में उसका आचरण अनिवार्यत: अनुकरणीय रहा हो और उसके विरुद्ध संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्यत: कोई अनुशासनिक कार्रवाई न की गई हो।

ख) उपर्युक्त किसी नियम या दिशानिर्देश का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में, उम्मीदवार का निर्वाचन अकृत और शून्य घोषित कर दिया जाएगा।

8. आचार संहिता:

a) विद्यार्थीगण से इतर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा।

b) कोई उम्मीदवार किसी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा, या उकसावा/समर्थन नहीं देगा, जो विद्यार्थियों के विभिन्न लिंगों, जातियों एवं समुदायों, धार्मिक या भाषावादी, या किसी समूह (समूहों) के बीच मतभेद पैदा करें/बिगाड़े या परस्पर घृणा पैदा करें, या तनाव उत्पन्न करें।

c) सभी उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया में ऐसे कार्यों जैसे रिश्वत देने, अवपीडन या धमकाने से अनिवर्यात: विरत रहेंगे।

d) सभी उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों की आलोचना करते समय उनके कार्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों और पिछले अभिलेख तक सीमित रहेंगे। उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के निजी जीवन पर लांछन लगाने से विरत रहेंगे।

e) कोई भी उम्मीदवार मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रादियक तर्ज पर अपील नहीं करेगा।

f) संस्थान के छात्रावासों में कोई चुनाव प्रचार अनुमेय नहीं होगा।

g) कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के प्रयोजनार्थ मुद्रित पोस्टरों, मुद्रित पर्चों या अन्य मुद्रित सामग्री प्रयोग नहीं करेगा। बहरहाल, वह परिसर में केवल प्राधिकृत स्थानों पर हाथों से बनाए गए पोस्टर प्रयोग कर सकते हैं, जो संस्थान के प्राधिकारियों को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में, शंकास्पद भाषा या विषयवस्तु वाले हाथों से बने पोस्टर अनुमेय नहीं होंगे।

h) कक्षाओं के अदंर कोई चुनाव प्रचार अनुमेय नहीं होगा। बहरहाल, शैक्षणिक कार्यक्रमों में कोई विघ्न पहुंचाए बिना कक्षाओं के बाहर चुनाव प्रचार अनुमेय किया जा सकता है।

i) संस्थान परिसर से बाहर मुद्रित पोस्टरों, जूलूसों या जनसभाओं के माध्यम से कोई चुनाव प्रचार अनुमेय नहीं है; इस नियम के उल्लंघन का परिणाम अनर्हता है।

j) शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार के लिए अभिनव माध्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा बशर्ते कि उनसे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित नहीं हो।

k) कोई उम्मीदवार, न ही उसका समर्थक सीयूएचपी की किसी संपत्ति को क्षतिग्रस्त, विरूपित या नष्ट नहीं करेगा और इस शर्त का उल्लंघन उसे मतदाता सूची से हटाये जाने सहित अनुशासनिक कार्रवाई का दायी बनाएगा।

l) चुनाव प्रचार के प्रयोजनार्थ लाउडस्पीकरों, वाहनों और पशुओं का प्रयोग निषिद्ध है।

m) मतदान के दिन, सभी उम्मीदवार शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और मतदाताओं के लिए किसी क्षोभ या विघ्न पैदा किए बिना उन्हें उनका मतदान करने की संपूर्ण स्वतंत्रता देंगे;

n) मतदान के दिन कोई भी उम्मीदवार पीने के पानी को छोड़कर किसी खाद्य सामग्री या अन्य ठोस या तरल उपभोज्य सामग्री का वितरण नहीं करेगा और मतदान के दिन कोई प्रचार भी नहीं करेगा;

o) मतदाताओं को छोड़कर, संस्थान के प्राधिकारियों से एक वैध/प्राधिकार पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में प्रवेश नहीं करेगा;

p) यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव के संचालन के संबंध में कोई शिकायत या समस्या है तो वह शिकायत समिति के ध्यान में लाई जा सकती है;

q) सभी उम्मीदवार मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे;

r) संस्थान को बिना कोई कारण समनुदिष्ट किए अनुसूचित तिथि से पहले किसी भी समय चुनावों का निरस्त या आस्थगित करने का पूर्ण प्राधिकार है।

s) चूँकि चुनावों का आयोजन विभाग-वार किया जाना है, आदर्शत:, प्रतियोगियों को प्रचार सामग्री पर किसी धनराशि का व्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रचार जबानी और वाद-विवाद एवं चर्चाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक उम्मीदवार द्वारा उपगत किया जाने वाला अनुमेय कुल व्यय 10/- रुपये प्रति निर्वाचक से अधिक नहीं होगा, और किसी भी स्थिति में 5000/- रुपये को पार नहीं करेगा, जो भी कम हो, जैसा कि लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

t) परिणामों की घोषणा के दो सप्ताह के अंदर प्रत्येक उम्मीदवार संपूर्ण और अंकेक्षित लेखा संस्थान के प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा। रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और निदेशक के नामिती की एक समिति उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत लेखों की संवीक्षा और लेखा-परीक्षा करेगी। ऐसे लेखे प्रस्तुत किए जाने के दो दिन के अंदर संस्थान एक उपयुक्त माध्यम द्वारा ऐसे अंकेक्षित लेखों को प्रकाशित करेगा, ताकि विद्यार्थी परिषद के सदस्य उनकी स्वतंत्रतापूर्वक जांच कर सकें।

u) उम्मीदवारों के लिए किसी अन्य स्रोत से धनराशि जुटाना और प्रयोग करना निषिद्ध है।

v) किसी अपालन की स्थिति में या किसी अतिरिक्त व्यय की स्थिति में उम्मीदवार का निर्वाचन अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा।

9. मतदान प्रक्रिया:

a) पंजीकृत विद्यार्थियों/मतदाताओं को देखते हुए प्रत्येक विभाग के लिए अपेक्षित मतपत्रों का मुद्रण करवाया जाएगा जिनमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम एवं पंजीक्रमांक उल्लिखित होगा।

b) निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतपत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

c) विभाग के निर्वाचन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, जिसकी सहायता निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान अधिकारी के रूप में पदनामित और नियुक्त संकायवर्ग के तीन सदस्य करेंगे, अधिसूचित समयावधि के अंदर मतदान प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा;

d) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसका (उसके) प्रतिनिधि मतदान अभिकर्ता के रूप में मतदान के समय उपस्थित रह सकते हैं;

e) मतदान प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, मतपेटी को सीलबंद किया जाएगा। अप्रयुक्त मतपत्रों को भी एक अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाएगा।

10. मतगणना:

a) मतगणना के लिए मतपेटियों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

b) निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारियों की सहायता से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतगणना का करेगा।

11. परिणाम की घोषणा:

क) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार / उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतों की संख्या के अनुसार उनके क्रम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए परिणाम की घोषणा करेगा।

12. चुनाव से संबंधित व्यय:

क) चुनाव पद्धति हेतु उपगत समस्य व्यय की पूर्ति इस प्रयोजनार्थ संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई निधियों से की जाएगी। बहरहाल, बशर्ते कि केवल वह व्यय जो इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित कामकाज के प्रति उपगत किए गए हैं।

13. शिकायत निवारण:

a) चुनाव का निर्विघ्न आयोजन और शिकायतों का, यदि कोई हो, निवारण भी सुनिश्चित करने के लिए, वहां एक विद्यार्थी परिषद शिकायत निवारण समिति होगी;

b) विद्यार्थी परिषद शिकायत निवारण समिति की संरचना नीचे लिखे अनुसार होगी:

i. संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष

ii. निदेशक द्वारा नामित किया जाने वाला एक संकायाध्यक्ष सदस्य

iv. अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में से दो विद्यार्थी , जिनमें से एक महिला होगी, जो निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे —सदस्य

v. रजिस्ट्रार — सदस्य - सचिव

c) शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली शिकायतों पर संव्यवहार करने की पद्धति का संव्यवहार लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप होगा;

14. चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना:

क) नियम विरुद्ध या आपराधिक वारदात की घटना संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचित की जाएगी, किंतु वारदात की अभिकथित घटना या अपराध के प्रवर्तन के दौरान गवाह के बाद 12 घंटे से अधिक नहीं।

भाग II: विद्यार्थी परिषद हेतु नामांकन पद्धति

15. नामांकन पद्धति:

a) विद्या परिषद पढ़ाई, खेलकूद और पाठ्यक्रमेतर कार्यकलापों के आधार पर विद्यार्थी परिषद में बीस विद्यार्थियों का नामांकन करेगी।

b) प्रत्येक विभाग से नामांकित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी।

c) नामांकन के संबंध में निर्णय लेने में विद्या परिषद की सहायता करने के लिए, संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण विद्या परिषद के समक्ष विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिल विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें 10वीं कक्षा से उनके विगत शैक्षणिक अभिलेखों, प्रवेश के समय संयुक्त अंक, पिछले दो सत्रार्धों के दौरान उनके द्वारा लिए पाठ्यक्रमों में उनके औसत अंक के मायनों में शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्य-सहवर्ती एवं पाठ्येतर कार्यकलापों के संबंध में टिप्पणियों का स्पष्ट उल्लेख करेगा।

d) विद्यार्थियों के नामांकन हेतु पात्रता शर्तें, अर्हताएं और अनर्हताएं वही होंगी जो चुनाव के मामले में प्रवृत्त हैं।

e) नामांकन करते समय, विद्या परिषद स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान उपाधिपत्र कार्यक्रमों के विद्यार्थियों और नवीन विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ विद्यार्थियों के प्रतिनधित्व पर समुचित ध्यान देगी।

16. यदि वहां इन दिशानिर्देशों में अपर्याप्त उपबंधों से प्रोद्भूत या व्याख्या के कारण इनके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के अनुसार निर्णय लिया जाएगा;

17. यदि वहां इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो मामला निदेशक के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय सर्वसंबंधित के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

निदर्शन-पत्र - 1

[धारा 6 के उप-खण्ड (क) के तहत]

नामांकन प्रपत्र

1. नाम _____
2. पुत्र/पुत्री _____
3. पंजी क्रमांक _____
4. जन्म तिथि _____
5. विभाग / केन्द्र _____
6. अध्ययन पाठ्यक्रम _____
7. स्कूल _____
8. नामांकन भरने की तारीख _____
9. प्रस्तावक कुमारी/श्री _____

(निर्वाचक उसी निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक होगा जिससे चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार संबंध रखता है)

पंजी क्रमांक _____, विभाग _____ अध्ययन पाठ्यक्रम _____ तिथि सहित हस्ताक्षर _____

10. अनुमोदक कुमारी/श्री _____

(अनुमोदक उसी निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक होगा जिससे चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार संबंध रखता है)

पंजी क्रमांक _____, विभाग _____

अध्ययन पाठ्यक्रम _____

तिथि सहित हस्ताक्षर _____

11. चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा के साक्ष्य में तिथि सहित प्रस्तावित उम्मीदवार के हस्ताक्षर _____.

(उम्मीदवार उसी निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक होगा जिससे चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार संबंध रखता है)

कार्यालय उपयोग हेतु:

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ पुत्र/पुत्री _____ पंजीक्रमांक _____ के नामांकन प्रपत्र की सावधानी से संवीक्षा की गई है और नियमानुसार पाया गया है/अस्वीकृत कर दिया गया है। अस्वीकृति की स्थिति में, तत्संबंधी कारण _____

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

तिथि:

प्रतिलिपि: संकाया ध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

निदर्शन-पत्र - 2

[धारा 6 के उप-खण्ड (क) के तहत]

वचन

मैं, _____ पुत्र श्री/श्रीमती _____ पंजीक्रमांक _____ विभाग _____, एतद्द्वारा, वचन देता हूँ कि

i. मुझ पर न तो किसी आपराधिक वारदात या दुराचार के लिए कभी अभियोजन चलाया गया/सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, न ही किसी अदालत में मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा / अभियोजन विचाराधीन है।

ii. आगे, मैं यह वचन देता हूँ कि मेरे विरुद्ध संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है।

iii. आगे, मैं यह वचन देता हूँ कि मैं पिछली परीक्षाओं में अपने सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हुआ हूँ।

iv. आगे, मैं यह वचन देता हूँ कि मैंने अपने पिछले सभी पाठ्यक्रमों में 75% उपस्थिति पूरी की है।

v. आगे, मैं यह वचन देता हूँ कि मैंने सीयूएचपी के चुनाव संबंधित अध्यादेश (अध्यादेशों) और नियमों का पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूँ। यदि अध्यादेशों एवं नियमों में उपबंधित किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो मैं पूर्णतया अभिज्ञ हूँ कि चुनाव पश्चात भी मेरी उम्मीदवारी अस्वीकृत और/या मेरी उम्मीदवारी निरसित किए जाने की दायी है।

(तिथि सहित हस्ताक्षर)

पूरा नाम _____

अध्ययन पाठ्यक्रम _____

IndiaCode

विभाग _____

स्कूल _____

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

निदर्शन-पत्र - 3

निर्वाचन अधिकारी का वचन

एतद्वारा, मैं _____ पुत्र श्री/श्रीमती_____, वचन देता हूँ कि मेरा कोई रक्त-संबंधी विद्यार्थी परिषद का चुनाव नहीं लड़ रहा है।

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

जांच समिति में नामांकित संकायवर्ग सदस्य का वचन

एतद्वारा, मैं _____ पुत्र श्री/श्रीमती_____, वचन देता हूँ कि मेरा कोई रक्त-संबंधी विद्यार्थी परिषद का चुनाव नहीं लड़ रहा है।

संकायवर्ग सदस्य का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

निदर्शन-पत्र – 4

[धारा 5 के उप-खण्ड (ख) के तहत]

_____ स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों/मतदाताओं की अनंतिम सूची

क्र.सं.	पंजीक्रमांक	नाम	पिता का नाम	विभाग
प्रथम सत्रार्ध				
तृतीय सत्रार्ध				
अनुसंधान उपाधिपत्र पाठ्यक्रम				

IndiaCode

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

निदर्शन-पत्र - 5

[धारा 6 के उप-खण्ड (घ) के तहत]

_____ स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों/मतदाताओं की अंतिम सूची

क्र.सं.	**पंजीक्रमांक**	**नाम**	**पिता का नाम**	**विभाग**
प्रथम सत्रार्ध				
तृतीय सत्रार्ध				
अनुसंधान उपाधिपत्र पाठ्यक्रम				

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

IndiaCode

निदर्शन-पत्र - 6

[धारा 6 के उप-खण्ड (घ) के तहत]

उम्मीदवारों की सूची जिन्होंने चुनाव लड़ने हेतु नामांकन भरा है

संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण द्वारा निर्गमित अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, उन विद्यार्थियों का विवरण जिन्होंने रागांरायुविसं के दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थी परिषद, 20__ - 20___ के चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरा है, नीचे लिखे अनुसार है:

क्र.सं.	पंजीक्रमांक	नाम	पिता का नाम	विभाग	सत्रार्ध

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

IndiaCode

निदर्शन-पत्र - 7

[धारा 6 के उप-खण्ड (ङ) के तहत]

चुनाव लड़ने हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची

संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण द्वारा निर्गमित अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, उन विद्यार्थियों का विवरण जिन्होंने रागांरायुविसं के दिशानिर्देश के अनुसार विद्यार्थी परिषद, 20__ - 20___ के चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरा है और जिन्हें संवीक्षा पश्चात चुनाव लड़ने हेतु पात्र घोषित किया गया है, नीचे लिखे अनुसार है:

क्र.सं.	पंजीक्रमांक	नाम	पिता का नाम	विभाग	सत्रार्ध

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी _____

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

निदर्शन-पत्र - 8

[धारा 11 के उप-खण्ड (क) के तहत]

_____ स्कूल में मतदान का विवरण

1. मतों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	पंजीकृत मत	
2.	मतदान किए गए मत	
3.	वैध मत	
4.	अवैध मत	

2. अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए मतदान

क्र.सं.	पंजीक्रमांक	उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	विभाग	सत्रार्ध	मतदान	ठीक जगह

एतद्द्वारा, मैं स्वीकार करता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से आयोजित किया गया था और मतगणना मेरी उपस्थिति में की गई थी।

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर _____

उम्मीदवारों के हस्ताक्षर

1._____

2._____

3._____

4._____

5._____

6._____

7._____

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

IndiaCode

निदर्शन-पत्र – 9

मतगणना मिलान पत्रक

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	पक्ष में मतदान	योग
1.			
2.			
3.			
4.			

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	वैध मत	अवैध मत	योग
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

IndiaCode

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

निदर्शन-पत्र – 10

[धारा 11 के उप-खण्ड (क) के तहत**]**

चुनाव परिणाम की घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री _____ पंजीक्रमांक _____ विभाग_____ सत्रार्ध _____ को _____ स्कूल से विद्यार्थी परिषद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया है।

हस्ताक्षर:

निर्वाचन अधिकारी: _____

प्रतिलिपि: संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण

अध्याय - XIII

कर्मचारी और विद्यार्थी शिकायत निवारण समितियां

1. संस्थान द्वारा संस्थान के कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस आशय हेतु, संस्थान निम्नलिखित तीन शिकायत निवारण समितियों का गठन करेगा:

क) विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति

ख) अध्यापक शिकायत निवारण समिति

ग) गैर-अध्यापन कर्मचारी शिकायत निवारण समिति

2. विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति:

क) विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

i. संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण या निदेशक द्वारा नामित ऐसा अन्य व्यक्ति, जो अध्यक्ष एवं संयोजक होगा;

ii. स्कूल संकायाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष;

iii. निदेशक द्वारा नामित तीन व्यक्ति; और

iv. विद्यार्थी परिषद के तीन प्रतिनिधि।

ख) विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति की शक्तियां और कार्य हैं:

i. विद्यार्थियों को वैयक्तिक या एक समूह के रूप में प्रत्यक्षत: प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में उनकी लिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायतों और याचिकाओं को स्वीकार करना;

ii. शिकायतों की जांच करना, और निवारण अथवा उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अनुशंसाएं और रिपोर्ट करना; और

iii. यदि आरोपों को निराधार पाया जाता है तो शिकायतकर्ता (शिकायतकर्ताओं) के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना।

3. अध्यापक शिकायत निवारण समिति:

क) अध्यापक शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

i. एक संकायाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में निदेशक द्वारा नामित विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष एवं संयोजक होगा;

ii. संकायवर्ग के तीन सदस्य, प्रोफेसर के ओहदे से निम्नतर नहीं, जो निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे;

iii. महिलाओं, अल्पसंख्यक, अजा, अजजा, अपिव के प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच अध्यापक निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे; और

iv. संबंधित स्कूल संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष।

ख) अध्यापक शिकायत निवारण समिति की शक्तियां और कार्य हैं:

i. अध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को वैयक्तिक या एक समूह के रूप में प्रत्यक्षत: प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में उनकी लिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायतों और याचिकाओं को स्वीकार करना;

ii. शिकायतों की जांच करना, और निवारण अथवा उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अनुशंसाएं और रिपोर्ट करना; और

iii. यदि आरोपों को निराधार पाया जाता है तो शिकायतकर्ता (शिकायतकर्ताओं) के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना।

4. गैर-अध्यापन कर्मचारी शिकायत निवारण समिति:

क) गैर-अध्यापन कर्मचारी शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

i. रजिस्ट्रार, जो अध्यक्ष एवं संयोजक होगा;

ii. महिलाओं, अल्पसंख्यक, अजा, अजजा, अपिव के प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच अध्यापक निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे; और

iii. संबंधित अनुभाग का प्रमुख।

ख) गैर-अध्यापन कर्मचारी शिकायत निवारण समिति की शक्तियां और कार्य हैं:

i. कर्मचारियों (गैर-अध्यापन) को वैयक्तिक या एक समूह के रूप में प्रत्यक्षत: प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में उनकी लिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायतों और याचिकाओं को स्वीकार करना;

ii. शिकायतों की जांच करना, और निवारण अथवा उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अनुशंसाएं और रिपोर्ट करना; और

IndiaCode

iii. यदि आरोपों को निराधार पाया जाता है तो शिकायतकर्ता (शिकायतकर्ताओं) के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना।

5. विद्यार्थियों से संबंधित शिकायतें संकायाध्यक्ष विद्यार्थी कल्याण के कार्यालय में ली जाएंगी और विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति के पास भेजी जाएंगी।

6. अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें अध्यक्ष एवं संयोजक, अध्यापक शिकायत समिति के कार्यालय में ली जाएंगी और अध्यापक शिकायत निवारण समिति को भेजी जाएंगी।

7. गैर-अध्यापन और अन्य गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें रजिस्ट्रार के कार्यालय में ली जाएंगी और गैर-अध्यापन कर्मचारी शिकायत निवारण समितियों को भेजी जाएंगी।

8. शिकायत निवारण समितियां, अपनी संबंधित अधिकारिता में, निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन करेंगी:

क) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अध्यापकों के बीच जागरूकता पैदा करना;

ख) उन्हें प्राप्त होने और उनके पास भेजी जाने वाली शिकायतों को दर्ज करना एवं पावती देना;

ग) यथासंभव सीमा तक, प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का एक पखवाड़े के अंदर एक अंतिम निर्णय लेकर निपटान किया जाएगा;

घ) यदि एक पखवाड़े के अंदर अंतिम निर्णय संभव नहीं है तो आवेदक को इस संकेत के साथ कि वह कब अंतिम उत्तर की प्रत्याशा कर सकता/सकती है, एक पावती भेजी जानी चाहिए;

ङ) एक सामान्य नियम के रूप में, किसी भी शिकायत को तीन माह की सीमा से आगे विचाराधीन नहीं रखा जाएगा।

च) संबंधित शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष एवं संयोजकों को निजी रूप से शिकायतों को सुनने के लिए स्वयं को स्वतंत्रतापूर्वक उपलब्ध कराना चाहिए; और

9. असंतुष्ट पक्ष जो शिकायत निवारण समिति द्वारा निवारण से संतुष्ट नहीं है, पुनर्विचार और समीक्षा के लिए निदेशक को अपील कर सकता है।

अध्याय - XIV

भूतपूर्व छात्र एसोसिएशन

1. वहां संस्थान की एक भूतपूर्व छात्र एसोसिएशन होगी।

2. एसोसिएशन का उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करना, संस्थान के स्नातकों के बीच संपर्क और संघीभाव बनाए रखना, और संस्थान के विकास हेतु धनराशि जुटाना होगा।

3. एसोसिएशन की सदस्यता संस्थान के सभी उपाधिपत्र धारकों के लिए खुली होगी, जिनमें डिप्लोमा और प्रमाणपत्र धारक शामिल हैं।

4. एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क 500/- रु. प्रति वर्ष और 10,000/- रु. आजीवन होगा, या जैसा कि समय-समय पर संस्थान की कार्यकारी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाए।

5. वहां 100/- रु. का एक भूतपूर्व छात्र एसोसिएशन प्रवेश शुल्क भी होगा, जो संस्थान में विद्यार्थी के प्रवेश के समय लिया जाएगा।

6. सदस्यता हेतु आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा कि संस्थान द्वारा वांछा की जाएगी।

7. एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में (क) अध्यक्ष; (ख) उपाध्यक्ष; (ग) महासचिव; (घ) संयुक्त सचिव; और (ङ) 10 अन्य सदस्य शामिल होंगे।

8. निदेशक पदेन संरक्षक होगा। एसोसिएशन के सभी पदधारियों और सदस्यों का तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु निर्वाचन किया जाएगा।

9. एसोसिएशन का कोई भी सदस्य, जब तक कि वह चुनाव की तारीख से पूर्व न्यूनतम एक वर्ष एसोसिएशन का सदस्य नहीं है और कम से कम पाँच वर्ष से संस्थान का उपाधिपत्र धारक नहीं है, चुनाव में मतदान करने या खड़ा होने का हकदार नहीं होगा।

10. बशर्ते कि सदस्यता के एक वर्ष पूरा होने की शर्त प्रथम चुनाव के मामले में लागू नहीं होगी।

11. एसोसिएशन के धन का प्रबंधन संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो इस प्रयोजनार्थ एक अलग खाता रखेगा।

12. एसोसिएशन के चुनावों और उसकी सभी बैठकों का आयोजन संस्थान के निदेशक द्वारा अधिसूचित विधि से किया जाएगा।

13. अध्यादेश के किसी खंड के प्रचालन में किसी कठिनाई की स्थिति में, मामला निदेशक के पास भेजा जाएगा जिसका तत्संबंधी निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय - XV

परीक्षाओं/उपाधिपत्रों की मान्यता हेतु तुल्यता संबंधी स्थाई समिति

1. तुल्यता के सभी प्रस्तावों और अनुरोधों की संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के मानक के संबंध में जांच की जाएगी। संकायाध्यक्ष की रिपोर्ट परीक्षाओं/उपाधिपत्रों की मान्यता हेतु तुल्यता संबंधी स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

परीक्षाओं/उपाधिपत्रों की मान्यता हेतु तुल्यता संबंधी स्थाई समिति की संरचना:

2. परीक्षाओं/उपाधिपत्रों की मान्यता हेतु तुल्यता संबंधी स्थाई समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(i) एक संकायाध्यक्ष जो निदेशक किया जाएगा और जो अध्यक्ष होगा;

(ii) स्कूलों के संकायाध्यक्ष;

(iii) विद्या परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से तीन वर्ष की अवधि हेतु नामित एक व्यक्ति;

(iv) रजिस्ट्रार; और

(v) परीक्षा नियंत्रक सदस्य सचिव

3) **समिति के कार्य होंगे:**

क) अन्य विश्वविद्यालयों / बोर्डों / संस्थानों के नए पाठ्यक्रमों/परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के प्रस्तावों पर विचार करना;

ख) अन्य विश्वविद्यालयों / संस्थानों / व्यक्ति (व्यक्तियों) से प्राप्त परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के अनुरोधों पर विचार करना और अपनी अनुशंसाएं विद्या परिषद को प्रस्तुत करना;

ग) उन सभी मामलों पर, जो उसके पास भेजे गए हैं, विद्या परिषद को रिपोर्ट करना; और

घ) देश के अंदर और बाहर विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों की तदनुरूपी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के तुल्य संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों / डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों की मान्यता मांगने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की वस्तुस्थिति तैयार करना।

कामकाज के नियम:

(4) समिति के एक-तिहाई सदस्यों से समिति की बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) समिति अपने कामकाज के संचालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करेगी, जो विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जो इस संबंध में अपनी कोई शक्ति तुल्यता समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

[फा. सं. 15-28/2016-रागाँरायुविसं]

गौरव अग्रवाल, निदेशक (युवा कार्यक्रम)

IndiaCode

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

(RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH DEVELOPMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2016

G.S.R. 1079(E).—In exercise of the power vested under clause (k) of Section 33 of the RGNIYD Act, Academic Council of the RGNIYD made the following Ordinance, namely:-

1. Short Tile and Commencement.—(1) This Ordinance may be called "RGNIYD Ordinance (Second Amendment) 2016.

(2) It shall deemed to have come into force with effect from 17.09.2016

2. Addition of new Ordinance to the Principal Ordinance

The following chapters shall be added after Chapter XI of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Ordinances, 2016.

CHAPTER- XII

Students' Council

1. There shall be a Students' Council for every academic year, consisting of:-

(i) The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairman of the Students' Council;

(ii) 5% of students' strength, subject to maximum of twenty students to be nominated by the Academic Council on the basis of merit in studies, sports and extra-curricular activities; and

(iii) 5% of students' strength, subject to subject to maximum of twenty students to be elected by the students as their representatives:

Provided that any student of the Institute shall have the right to bring up any matter concerning the Institute before the Students' Council, if so permitted by the Chairman, and he shall have the right to participate in the discussions at any meeting when the matter is taken up for consideration.

(iv) The functions of the Students Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the Institute in regard to the programmes of studies, students' welfare and other matters of importance, in regard to the working of the Institute in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion.

(v) The Students' Council shall meet at least twice in every academic year and the first meeting of the Council be held in the beginning of the academic session.

2. **Number of Slots for Election & Nomination:**

a) The number of slots for Election and Nomination shall be determined Department wise on the basis of number of students enrolled in each Department during the academic session concerned.

b) In order to ensure that all Departments are represented, a number of Departments may be clubbed such that at least one slot for election and one slot for nomination could be provided between the clubbed Departments.

PART I: Procedure of Election to the Students Council

3. **Schedule for Election:**

b) Notification for election shall be issued by the Dean of Students Welfare which shall include the Schedule of Election as per the following format:

Schedule of Election for the Membership of Students Council for the Academic Session ……..		
Sl. No.	Activity	Date
1	Issue of Notification for Election	
2	Display of Voters List (Students Enrolled)	
3	Receipt of request for correction in the Voter List	
4	Display of Final Voters' List	
5	Commencement of Filing of Nomination Paper	
6	Last date for Filing of Nomination Paper	
7	Scrutiny of Nomination Paper	
8	Display of List of Candidates	
9	Last date for the Withdrawal of Nomination	
10	Display of the Final List of Candidates	
11	Commencement of canvassing	
12	Date and time of closing canvassing	
13	Date and Time of Commencement and End of Voting	
14	Counting of Votes	
15	Declaration of Results	
16	Notification for the Constitution of the Students Council	

IndiaCode

The whole election process beginning with issue of notification by Dean of Students Welfare shall be completed with 10 days as per the recommendation of Lyngdoh Committee Report.

4. **Returning Officer:**

(a) Senior most Dean or in his absence senior most Head of the Department shall be the Returning Officer of the election in their respective School/Department.

5. **Display of the Voters' List and Procedure for Correction therein:**

a) Voters' List of a Department shall mean and include the names of all students enrolled as on the date of notification of election in various programmes of studies offered in the Department;

b) Voters' List shall be displayed on the Notice Board of the respective Department by the Returning Officer concerned;

c) Request for correction in the Voters List, if any, shall have to be made in the prescribed form to the Returning Officer concerned;

d) Request for correction shall be verified by the Returning Officerd, who shall after incorporating any changes necessary shall display the Final Voters' List.

6. **Filing of Nomination Papers:**

a) Eligible candidate may file their Nomination paper in the prescribed format (Proforma-1) along with an Undertaking in the prescribed format (Proforma-2) that no criminal inquiry is pending against her/him;

b) Nomination Form so received shall be scrutinized by the Returning Officer concerned;

c) All such voters, who have filed their Nomination Paper shall have a right to remain present during the scrutiny of the Nomination Form;

d) List of candidates shall be declared by the Returning Officer concerned;

e) Request for the withdrawal of Nomination may be made to the Returning Officer concerned, within the stipulated date;

f) Final List of candidates shall be displayed by the Returning officer concerned, after due time/ date prescribed for withdrawal.

7. Conditions of eligibility to be a candidate:

a) A student seeking election to the Students Council must fulfill the following eligibility conditions as mentioned in the Lyngdoh Committee:

(i) His / her name must appear in the Final Voters' List of the Department concerned

(ii) His / her age must not exceed the following limits as on the date of filing of the Nomination Paper:

(a) 25 years in case he/she is a PG student

(b) 28 years in case he/she is a RD student;

(iii) He/she must have a minimum of 75 percent attendance in all courses taken by him/her during previous semester(s), except those who are in the first semester.

(iv) He/she must not have any academic arrear i.e. he/she must have successfully completed all the courses he took during the previous semesters of the programme of studies, in which he/she is presently enrolled; such persons who have failed and/or awarded I Grade and/or detained due to shortage of attendance in any of the courses, during the previous semester(s) of the programme of studies in which he/she is presently enrolled shall not be eligible to contest the election.

(v) He/she must not have any fee arrears in the year of contesting the election.

(vi) He/she must not have a previous criminal record, that is, he/she should not have been tried and/or convicted of any criminal offence or misdemeanor.

(vii) His/her conduct in the Institute must have been exemplary and he/she must not have been subjected to any disciplinary action by the Institute authorities.

b) Election of a candidate shall be declared null and void, in the event of non-conformity with any of the above rules or guidelines.

8. Code of conduct:

a) No one other than the students shall be involved in the election process.

b) No candidate shall indulge in, or shall abet / support, any activity, which may create / aggravate differences or create mutual hatred, or cause tension between different gender, castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.

c) All candidates must desist from resorting to activities such as bribing, coercing, intimidating or impersonation in the election process.

d) All candidates while criticising other candidates shall confine to the policies and programmes and past record of their work. Candidates shall refrain from casting aspersions on the private lives of contesting candidates.

e) No candidate shall make appeal based on caste or communal lines for securing votes.

f) No canvassing shall be permitted in the Hostels of the Institute.

g) No candidates shall make use of printed posters, printed pamphlets, or any other printed material for the purpose of canvassing. However, they may use handmade posters only at authorised places in the Campus, which shall be notified in advance by the Institute authorities. Under no circumstances, handmade posters with questionable language or content will be allowed.

h) No canvassing shall be permitted within the class rooms. However, canvassing may be permitted outside the class rooms without causing any disturbance to the academic schedules.

i) No electioneering through printed posters, processions, or public meetings is allowed outside the Institute Campus; violation of this rule will result in disqualification.

j) Innovative means for peaceful canvassing shall be encouraged provided it does not affect the academic environment.

k) No candidate shall, nor shall his/her supporter, damage, deface or cause any destruction to any property of the Institute and contravening the condition will make him/her liable for disciplinary action including removal from the Voters' List.

l) The use of loudspeakers, vehicles and animals for the purpose canvassing shall be prohibited.

m) On the day of polling, all candidates shall cooperate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly election and complete freedom to the voters in exercising their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction;

n) No candidate shall distribute any eatables or other solid and liquid consumables except water on polling day and also not hand out any propaganda on the polling day;

o) Except voters, no one without a valid pass/letter of authority from the Institute authorities shall enter the polling booth;

p) In case a candidate has any complaint or problem regarding the conduct of the election the same may be brought to the notice of the Grievance Committee;

q) All candidates shall be jointly responsible for ensuring cleaning up the polling area within 48 hours of the conclusion of polling;

r) The Institute has full authority to cancel or postpone the elections any time before the scheduled date without assigning any reason.

s) Since elections are to be held Department wise, ideally, the contestant should not spend any amount of money on publicity material as the publicity should be done by word of mouth and through debate and discussions. The total expenditure permissible to be incurred by a candidate shall not exceed Rs.10/ per constituent, and in any case shall not exceed Rs.5000/- as prescribed by Lyngdoh Committee, which is ever is less.

t) Each candidate shall within two weeks of the declaration of results, submit complete and audited account to the Institute authorities. A Committee consisting of the Registrar, Finance Officer and a nominee of the Director shall scrutinize and audit the accounts submitted by the candidate. The Institute shall publish such audited accounts within two days of the submission of such accounts through a suitable medium so that members of Students' Council may freely examine the same.

u) The candidates are debarred from mobilising and utilising funds from any other source.

v) The election of the candidate shall be declared null and void in the event of any noncompliance or in the event of any excessive expenditure

9. Polling Process:

a) The ballot papers required for each Department given the number of registered students / voters will be printed mentioning the names and roll numbers of the candidates contesting the election.

b) Each ballot paper will be signed by the Returning Officer.

c) The polling process will be completed within the notified time period under the administrative control of the Returning Officer of the Department, who will be assisted by the three faculty members designated as Polling Officers and appointed by the Returning Officer;

d) Candidate(s) contesting the election or his/her representative may remain present during the time of polling as polling agent;

e) After the polling process is complete, the ballot box will be sealed. The unused ballot papers shall also be sealed in a separate envelop.

10. Counting of Votes:

a) The sealed ballot box will be opened by the Returning Officer for the counting of the votes in the presence of candidates contesting the election or their representatives.

b) The Returning Officer with the help of Polling Officers shall conduct the counting of votes in the presence of the candidates contesting election or their representatives.

11. Declaration of the Result:

a) The Returning Officer shall declare the result mentioning clearly the order of the elected candidate / candidates in terms of the number of votes polled to them.

12. Election Related Expenditure:

a) All expenses incurred towards the election procedure shall be met from the funds made available by the Institute for this purpose:

Provided, however, that only such expenses that are incurred towards the work related to the activities specified in these guidelines.

13. Grievance Redressal:

a) To ensure smooth conduct of the election and also to address grievances, if any, there shall be an Students Council Grievance Redressal Committee;

b) The composition of the Students Council Grievance Redressal Committee shall be as under:

i.	Dean of Students Welfare	—Chairman
ii.	One of the Deans to be nominated by the Director	—Member
iii.	Two students from amongst the final year	
iv.	Students, one of whom shall be a women, to be nominated by the Director	—Members
v.	Registrar	—Member-Secretary

c) The procedure for dealing with the grievances received by the Grievance Redressal Committee shall be dealt in accordance with the recommendations of the Lyngdoh Committee;

14. Maintaining Law and Order on the campus during the election process:

a. Instance of lawlessness or the commission of criminal offence shall be reported to the police by the Institute authorities immediately but not later than 12 hours after the alleged commission of the offence, or witness during the commissioning of offence.

PART II: Procedure for Nomination to the Students Council

15. Procedure for Nomination:

f) Twenty students shall be nominated to the Students Council by the Academic Council on the basis of merit of studies, sports, extra-curricular activities.

g) The number of students to be nominated from each Department shall be the same as the number of students to be elected.

h) To facilitate the Academic Council in taking the decision with regard to the nomination, the Dean Students Welfare shall place before the Academic Council list of students admitted to various programmes of studies clearly indicating there in the past academic records from 10th onwards, the composite score at the time of admission, the academic performance in terms of their aggregate score in the courses taken during previous two semesters and comments with regard to their participation and involvement in the co-curricular and extra-curricular activities.

IndiaCode

i) Eligibility conditions, qualifications and disqualifications for the nomination of students shall be the same as those applicable in case of election.

j) While making nominations, the Academic Council shall pay due regards to the representation of students from the PG and RD programmes and also to the freshers and senior students.

16. Should there be any difficulty in the implementation of these guidelines, arising out of inadequate provisions in or due to interpretation of these guidelines, the decision shall be taken in accordance with the recommendations of the Lyngdoh Committee;

17. Should there still be any difficulty in the implementation of these guidelines, the matter shall be referred to the Director, whose decision shall be final and binding on all concerned;

PROFORMA – 1

{Under sub-clause (a) of Clause 6}

NOMINATION FORM

1. Name _____
2. Son / Daughter of _____
3. Roll No. _____
4. Date of Birth _____
5. Department / Centre _____
6. Programme of Study _____
7. School _____
8. Date of filing nomination _____
9. Proposed by Miss/Mr. _____

 (The Proposer shall be the constituent of the Electoral Constituency to which the contesting candidate belongs)

 Roll No. _____, Department _____ Programme of Study _____ Signature with date _____

10. Seconded by Miss/Mr. _____

 (The Seconder shall be the constituent of the Electoral Constituency to which the contesting candidate belongs)

 Roll No. _____, Department _____

 Programme of Study _____

 Signature with date_____

11. Signature of the proposed candidate with date in evidence of his/her willingness to contest the election _____.

 (The candidate shall be the constituent of the Electoral Constituency to which the contesting candidate belongs)

For Office Use:

This is to certify that the Nomination form of _____ S/O / D/O _____ Roll No. _____ has been carefully scrutinized and found in order/rejected. In case of rejection reason thereof _____

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

Date:

Copy to: Dean of Students' Welfare

IndiaCode

PROFORMA - 2

{Under sub-clause (a) of Clause 6}

UNDERTAKING

I _____ S/o Sh./Smt._____ Roll No._____
Department of _____ hereby undertake that

i. I have neither been tried / convicted of any criminal offence or misdemeanor ever nor is there any criminal case / proceeding pending against me in any Court of Law.

ii. I further undertake that I have not been subjected to any disciplinary action by the Institute Authorities.

iii. I further undertake that I have passed all courses offered by me in the previous examinations.

iv. I further undertake that I have completed 75% attendance in all previous courses offered by me.

v. I further undertake that I have read the election related ordinance(s) and rules of the Institute and I undertake to abide by them. In case of any violation of any condition provided in the Ordinances and rules, I am fully aware that my candidature is liable to be rejected and or my candidature be cancelled even after election.

(SIGNATURE WITH DATE)

Full Name _____

Programme of Study _____

Department _____

School _____

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA - 3

UNDERTAKING FROM THE RETURNING OFFICER

I _____ S/o Sh./Smt._____ hereby undertake that none of my blood relation is contesting election to the Students Council.

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

UNDERTAKING FROM THE FACULTY MEMBER NOMINATED TO THE SCREENING COMMITTEE

I _____ S/o Sh./Smt._____ hereby undertake that none of my blood relation is contesting election to the Students Council.

SIGNATURE OF THE FACULTY MEMBER

Copy to: Dean of Students' Welfare

IndiaCode®

PROFORMA - 4

{Under sub-clause (b of Clause 5}

PROVISIONAL LIST OF REGISTERED STUDENTS / VOTERS IN THE SCHOOL OF

SR. NO.	ROLL NO.	NAME	FATHER'S NAME	DEPARTMENT
First Semester				
Third Semester				
Research Degree Programme				

.

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA - 5

{Under sub-clause (d) of Clause 6}

FINAL LIST OF REGISTERED STUDENTS / VOTERS IN THE SCHOOL OF

SR. NO.	ROLL NO.	NAME	FATHER'S NAME	DEPARTMENT
First Semester				

IndiaCode

Third Semester				
Research Degree Programme				

IndianCode

.

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA - 6

{Under sub-clause (d of Clause 6}

LIST OF CANDIDATES WHO FILED NOMINATION FOR CONTESTING ELECTION

In response to notification issued by the Dean Students Welfare, the details of the students who filed their nomination for contesting election to the Students Council, 20__ - 20___ as per RGNIYD guidelines are given below:

SR. NO	ROLL NO.	NAME	FATHER'S NAME	DEPARTMENT	SEMESTER

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA - 7

{Under sub-clause (f) of Clause 6}

LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR CONTESTING ELECTION

In response to notification issued by the Dean of Students Welfare, the details of the students who filed their nomination for contesting election to the Students Council, 20___ 20____ and who are declared eligible to contest election after scrutiny are as given below:

SR. NO	ROLL NO.	NAME	FATHER'S NAME	DEPARTMENT	SEMESTER

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

RETURNING OFFICER _____

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA - 8

{Under sub-clause (a) of Clause 11}

IndiaCode

STATEMENT OF VOTES POLLED IN THE SCHOOL OF

3. Statement of Votes

SR. NO.	PARTICULARS	NUMBER
1.	Registered Votes	
2.	Votes Polled	
3.	Valid Votes	
4.	Invalid Votes	

4. Votes Polled for Different Candidates

SR. NO.	ROLL NO.	NAME OF THE CANDIDATE	FATHER'S NAME	DEPARTMENT	SEMESTER	VOTES POLLED	POSITION

IndiaCode

I hereby admit that election was held in impartial and transparent manner and that the counting of the votes was done in my presence

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER _____

SIGNATURE OF THE CANDIDATES

1._____

2._____

3._____

4._____

5._____

6._____

7._____

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA – 9

TALLY SHEET FOR COUNTING OF VOTES

SR. NO.	NAME OF THE CANDIDATE	VOTES POLLED IN FAVOUR	TOTAL
1.			
2.			

3.			
4.			

SR. NO.	NAME OF THE CANDIDATE	VALID VOTES	INVALID VOTES	TOTAL
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER

Copy to: Dean of Students' Welfare

PROFORMA – 10

{Under sub-clause (a) of Clause 11}

DECLARATION OF THE RESULT OF THE ELECTION

This is to certify that Mr/Ms _____ S/o/D/o_____ Roll.No._____Department_____ Semester_____ has been declared elected for the Students Council from the School of _____

SIGNATURE:

RETURNING OFFICER: _____

Copy to: Dean of Students' Welfare

CHAPTER- XIII

Employees and Students' Grievances Redressal Committees

1. The Institute shall constitute a mechanism for the redressal of the grievances of Employees and Students of the Institute. To this effect the Institute shall constitute the following three Grievance Redressal Committees:

(a) Students' Grievance Redressal Committee

(b) Teachers' Grievance Redressal Committee

(c) Non-Teaching Staff Grievance Redressal Committee

2. Students' Grievance Redressal Committee:

(a) The Students' Grievance Redressal Committee shall comprise the following:

i). The Dean of Students' Welfare or such other person to be nominated by the Director, who shall be the Chairman & Convener;

ii). Dean of the School or in his absence Head of Department concerned;

iii). Three persons nominated by the Director; and

iv). Three Representatives of the Students' Council.

(b) Powers and Functions of the Students' Grievance Redressal Committee shall be:

i). to entertain written and signed complaints and petitions of students in respect of matters directly affecting them individually or as a group;

IndiaCode

ii). to enquire into the grievances, and make recommendations and report to the concerned authorities for redressal or suitable action; and

iii). to recommend appropriate action against complainant(s), if allegations made are found to be baseless.

3. Teachers' Grievance Redressal Committee:

(a) The Teachers' Grievance Redressal Committee shall comprise the following:

i). One of the Deans or in their absence Head of Department to be nominated by the Director, who shall be the Chairman & Convener;

ii). Three Faculty Members, not below the rank of Professor to be nominated by the Director;

iii). Five teachers representing women, minority, SC, ST, OBC, to be nominated by the Director; and

iv). Dean of the School or Head of Department concerned.

(b) The Powers and Functions of the Teachers' Grievance Redressal Committee shall be:

i). to accept and consider written and signed complaints and petitions of teachers and other academic staff in respect of matters directly affecting them individually or as a group;

ii). to enquire into the grievances, and make recommendations and report to the concerned authorities for redressal or suitable action; and

iii). to recommend appropriate action against complainant(s), if allegations made are found to be baseless.

4. Non-Teaching Staff Grievance Redressal Committee:

(a) The Non-Teaching Staff Grievance Redressal Committee shall comprise the following:

i). Registrar, who shall be the Chairman & Convenor;

ii). Five persons from the non-teaching staff representing women, minority, SC, ST, OBC, to be nominated by the Director; and

iii). Head of the Section concerned

(b) Powers and Functions of the Non-Teaching Staff Grievance Redressal Committee shall be:

i). to accept and consider written and signed complaints and petitions of staff (Non-Teaching) in respect of matters directly affecting them individually or as a group;

ii). to enquire into the grievances, and make recommendations and report to the concerned authorities for redressal or suitable action; and

iii). to recommend appropriate action against complainant(s), if allegations made are found to be baseless.

5. Grievances pertaining to the Students shall be received in the office of the Dean of Students' Welfare and shall be referred to the Students' Grievance Redressal Committee.

6. Grievances pertaining to the teachers, and other academic staff shall be received in the office of the Chairman & Convener of the Teachers' Grievance Redressal Committee and shall be referred to the Teachers' Grievance Redressal Committee.

7. Grievances pertaining to the non-teaching and other non-academic staff shall be received in the office of the Registrar and shall be referred to the Non-Teaching Staff Grievance Redressal Committees.

8. The Grievance Redressal Committees, in their respective areas of jurisdiction, shall observe the following general principles:

a. Create awareness among the students, staff and teachers about the grievance redressal mechanism;

b. Register and acknowledge grievances received and referred to them;

c. To the extent possible, all grievances received shall be settled within a fortnight by arriving at a final decision;

d. If a final decision is not possible within a fortnight, an acknowledgement should be sent to the applicant along with an indication as to when he/she can expect a final reply;

e. As a matter of general rule, no grievances should remain pending beyond the limit of three months;

f. The Chairman & Convenor of the respective Grievance Redressal Committees should make himself/herself freely available to hear the grievances personally; and

9. Aggrieved parties who are not satisfied with redressal by the Grievance Redressal Committee, may appeal to the Director for a reconsideration and review.

CHAPTER- XIV

The Alumni Association

1. There shall be an Alumni Association of the Institute.
2. The objective of the Association shall be to promote the objectives of the Institute, to maintain contacts and solidarity among the graduates of the Institute, and to raise funds for the development of the Institute.
3. The membership of the Association shall be open to all degree holders of the Institute, including the holders of diplomas and certificates.
4. The membership fee for the Association, shall be Rs.500/- per year and Rs.10,000/- for life or as decided by the Executive Council of the Institute from time to time.
5. There shall also be an Alumni Association Admission fee of Rs.100/- which shall be collected at the time of admission of students in the Institute.
6. The application for membership shall be in a form desired by the Institute.
7. The Executive Committee of the Association shall consist of the (a) President ; (b) Vice President; (c) General Secretary; (d) Joint Secretary; and (e) 10 other Members.
8. The Director shall be the ex-officio Patron. All other office -bearers and members of the Association shall be elected for a term of three years.
9. No member of the Association shall be entitled to vote or stand for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a Degree holder of the Institute of at least five years' standing.
10. Provided that the condition relating to the completion of one year membership shall not apply in case of the first election.
11. The funds of the Association shall be managed by the Finance Officer of the Institute who will maintain a separate Account for the purpose.
12. The elections of the Association and all its meetings shall be conducted in the manner to be notified by the Director of the Institute.
13. In case of any difficulty in operating any clause of the Ordinance the matter shall be referred to the Director, whose decision thereon shall be final.

CHAPTER- XV

Standing Committee on equivalence for recognition of Examinations / Degrees

1. All proposals and requests for equivalence shall be examined by the Dean of the School concerned with regards to the courses of study and the standard of the Courses. Report of the Dean shall be placed before the Standing Committee on Equivalence of Examinations/Degrees.

Composition of the Standing Committee on Equivalence of Examinations / Degrees:

2. The Standing Committee on Equivalence of Examinations / Degrees shall consist of the following members:

i). One of the Deans to be nominated by the Director who shall be the Chairman

ii). Deans of the Schools;

iii). One person nominated by the Academic Council from amongst its members for a period of three years;

iv). Registrar; and

v). Controller of Examinations ……..... Member Secretary

3. The functions of the Committee shall be:

a) to consider the proposal for the recognition of New Courses /Examinations / Degrees of other Universities/Boards / Institutions ;

b) to consider requests for recognition of Examinations/Degrees received from other Universities / Institutions / individual(s) and submit its recommendations to the Academic Council;

c) to report to the Academic Council on all matters, which are referred to it; and

d) to prepare a case of moving application for seeking recognition of Degrees / Diplomas and Certificates awarded by the Institute equivalent to the corresponding Degrees, Diplomas and Certificates of Universities and other institutions within and outside the country.

Rules of Business:

4. One third of the members of the Committee shall constitute the quorum for a meeting of the Committee.

5. The Committee shall lay down guidelines for conduct of its business, subject to approval of the Academic Council, which may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee.

[F. No.15-28/2016-RGNIYD]

GAURAV AGARWAL, Director

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.21 15:07:42 +05'30'